फार्म नं0 26
रिकार्ड भेजने का फार्म
नियम 142 एवं 159)

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी:– अखिलेश कुमार पिपल आर.ए.एस.

अपील संख्या:–475/2020 (GCMS No. 2020/00497) (धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. रमाशंकर पुत्र तेजसिंह जाति ब्राहम्ण निवासी सिकरौदा तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

1. तहसीलदार राजाखेडा जिला धौलपुर

.....रैस्पोडैन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी राजाखेडा दिनांक 30.11.2016 मु.नं. 25/2016 उनवान सरकार बनाम शांतिदेवी

उपस्थितिः–

1. पंकज कुमार, वकील अपीलान्ट
2. राजकीय अभिभाषक

नि र्ण य

दिनांक : 13.02.2023

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी राजाखेडा के निर्णय दिनांक 30.11.2016 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि उपखण्ड अधिकारी राजाखेडा के समक्ष तहसीलदार राजाखेडा ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 132 इस आशय का पेश किया था कि ग्राम सिकरौदा तहसील राजाखेडा में खातेदारी की आराजी ख.नं. 119 रकवा 23.19 बीघा में होकर एक बारहमासी रास्ता मौके पर निकल रहा है।जिसका सार्वजनिक प्रयोजनार्थ होना आवश्यक है। अतः उक्त भूमि को राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजाखेडा ने तहसीलदार राजाखेडा के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर ग्राम सिकरौंदा तहसील राजाखेडा की खातेदारी आराजी ख.नं. 119 में से 0.05 बीघा लेते हुये उक्त नम्बर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

में होकर 15 फीट चौडा गैर मुमकिन रास्ता तहसीलदार राजाखेडा के प्रस्ताव अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिनांक 30.11.2016 को पारित किया हैं। उक्त आदेश के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

2. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेसपोडैन्टगण व तहत न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

3. दौराने बहस विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मीमो के कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य हैं। एलआर एक्ट की धारा 131 व 132 के तहत उपखण्ड अधिकारी को किसी प्रकार के नये रास्ते को निर्मित करने का अधिकार नहीं है। एक्ट की किसी भी धारा में नया रास्ता कायम नहीं किया जा सकता। नया रास्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत संबंधित खातेदार को तीन गुना मुआवजा देकर ही कायम किया जा सकता है। तहत न्यायालय ने विना कानूनी प्रावधानों को देखे यह निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने ख.न. 119 के समस्त खातेदारों को नोटिस दिये बिना निर्णय व उन्हें सुनवाई का अवसर दिये बिना निर्णय पारित किया है जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के वितरीत है। उपखण्ड अधिकारी ने प्रार्थना पत्र पेश करने वाले तहसीलदार राजाखेडा द्वारा तैयार एकतरफा रिपोर्ट के आधार पर ही निर्णय पारित कर दिया। यह रिपोर्ट एकतरफा बिना अपीलान्ट को नोटिस दिये मौके के विपरीत तैयार की गई है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की आज्ञा उपखण्ड अधिकारी राजाखेडा दिनांक 30.11.2016 निरस्त की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिनमें किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद परीक्षण पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया अपनाते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधिसम्मत् है, जो किसी भी प्रकार से अवैधानिक नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है, वह सही हैं। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

5. राजकीय अभिभाषक के जबाब में अपीलान्ट द्वारा कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकतरफा कार्यवाही की गई है। मौके पर कोई रास्ता नहीं था। विधिवत न तो तामील हुई और न ही पक्षकारों को सुनवाई का मौका दिया गया। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जावे।

6. हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार राजाखेडा ने प्रार्थना पत्र विरूद्ध शान्तिदेवी एवं अन्य में अपीलान्ट के सम्मिलित करते हुये खातेदारान के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 के अन्तर्गत मौके

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

पर चाजू बारहमासी रास्ते की राजस्व अभिलेख में दर्ज करने बावत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसपर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज कर अपीलान्टस सहित अन्य खातेदारान को सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु नोटिस जारी करते हुये दिनांक 27.10.2016 तारीख नियत की। नियत तिथि को गैर सायलान को प्रोपर तामील कराये जाने हेतु पुनः तामील कराने एवं मौके की रिपोर्ट मंगवाते हुये दिनांक 09.11.2016 नियत की। नियत तारीख पेशी पर अपीलान्ट न्यायालय में उपस्थित हो चुके थे और नोटिस का जवाब अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया। मुताबिक तामीली नोटिस अपीलान्ट रमाशंकर के स्वयं के हस्ताक्षर अंकित हैं। शेष कुछ गैर सायलानों के भी नोटिस अपीलान्ट द्वारा हस्ताक्षर कर प्राप्त किये जाने का स्पष्ट उल्लेख तामील रिपोर्ट पर है। जिससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट को विधिवत रूप से नोटिस की तामील की गई। अपीलान्ट द्वारा जबाब भी अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय द्वारा चाही गई मौका रिपोर्ट नायब तहसीलदार द्वारा बनाई गई है जिसपर किसी पक्षकार के हस्ताक्षर न होने पर उन्हें अमान्य ठहराया जाना न्यायालय के मत में उचित नहीं है। अपीलान्ट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे यह स्पष्ट हो सके कि मौके पर कोई बारहमासी रास्ता न निकल रहा हो और नया रास्ता कायम किया जा रहा हो। अधीनस्थ न्यायालय ने विधिवत सुनवाई करते हुये निर्णय पारित किया है जिसमें हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। तद्नुसार अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजाखेडा का निर्णय दिनांक 30.11.2016 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.02.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13.02.2023

(अखिलेश कुमार पिपल)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर